आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िय

जमाबंदी सुधार अपील वाद सं0–2/20

वाल्मिकी चौधरी – अपीलार्थी

वनाम

दशरथ चौधरी – उत्तरवादी

आदेश

29.1.13

अपीलार्थी वाल्मिकी चौधरी दशरथ चौधरी को उत्तर सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा पारित जमाबंदी सुधार वाद विरूद्व यह अपीलवाद दायर किया है। अपीलार्थी का कहना है चौधरी के आवेदन पर विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़ि व्यौरे की भूमि पर वाद प्रारंभ किया गया है :–

मौजा	तौजी नं0	थाना नं0	खाता	खेसरा	वी
ठाठा	9328	263	446	1047	0(

अपीलार्थी का आगे कहना है कि उत्तरवादी ने सं0–22/10–11 के मूल आवेदन में कहा है कि उपरोक्त वर्णि प्रकाश उर्फ प्रकाश चौधरी वजरिये निबंधित केवाला द्वारा खरीद आये एवं पूर्व भूतपूर्व जमींदार के सिरिस्ता में उनके नाम से जम अदा कर जमींदारी रसीद प्राप्त करते थे। जमींदारी उन्मूलन के रिर्टन दाखिल किया गया जिस आधार पर उपरोक्त वर्णित जमीन बिहार सरकार के अंचल सिरिस्ता में उनके नाम से कायम हुयी चौधरी की मृत्यु वर्ष 1981 में हुयी, 1980 तक मालगुजारी अदा कर

जैसा कि अपीलार्थी कहते हैं कि उत्तरीवादी का आ होमगार्ड में कार्यरत रहने के कारण अपने कार्य में ध्यान नहीं दे पा के बाद जब उक्त भूमि का मालगुजारी रसीद कटाने गये तो उन

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

अपीलार्थी वाल्मिकी चौधरी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के
लिखित वहस भी दाखिल किया गया परंतु निम्न न्यायालय द्व
नहीं किया गया तथा जमावंदी सं0–100 से जमीन घटाकर ज
कर शामिल करने का आदेश दिनांक–10.09.2011 को पारित
अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया
उत्तरवादी के पिता प्रकाश उर्फ प्रकाश चौधरी, सौदी चौधरी
अपने जीवन काल में अपने हिस्से की 1क0 14धू0 1क0 13धू0
बजरिये निबंधित केवाला अपीलार्थी के नाम विक्री का थी तथा
द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–88/82–83 द्वारा 82–83 में
खरीदगी जमीन की जमावंदी सं0–100 कायम कर दी गयी जि
चौधरी द्वारा दिनांक–25.04.1952 के केवाला द्वारा 1क0 14धू0
अन्य फरीकन के साथ विक्री की गयी तथा जमावंदी सं0–64
जमावंदी सं0–64 से खारिज कर जमावंदी सं0–100 कायम किय

उन्होंने आगे कहा है कि 25.04.1952 को जिस 5क
गयी उसका व्यौरा निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता	खेसरा	र्व
ठाठा	550	1073	0

उक्त जमीन को लेकर तीनों विक्रेता प्रकाश उर्फ प्रका
व वासदेव चौधरी द्वारा कभी भी किसी न्यायालय में विरोध नहीं
तक अपीलार्थी के दखल–कब्जे में आ रहा है। इस प्रकार जमावं
रकवा 3क0 5धू0 थी उसमें से 1क0 15धू0 अपीलार्थी ने खरीद
कब्जा है तो जमावंदी सं0–64 से घटाकर अपीलार्थी के जमावं
विधि मान्य है और उसमें कोई गलती नहीं है।

उनका आगे कहना है कि दाखिल–खारीज आदेश
दिन के अंदर अपील...

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

इससे 1क0 15धू0 जमीन अपीलार्थी वाल्मिकी चौधरी को 1952 में आधार पर उनके नाम जमावंदी सृजित की गयी।

उत्तरवादी ने जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि वाधित है। उनका आगे कहना है कि जमावंदी 64 उनके पिता चल रही थी इससे 1क0 14धू0 जमीन अपीलार्थी के नाम विधिवत नामान्तरण करते हुए जमावंदी सं0 100 कायम कर दी गई। संदर्भित खेसरा 1047 का कोई भी कागजात अपीलार्थी के पास है कि अपीलार्थी द्वारा बनावटी एवं जाली केवाला जो उत्तरवादी अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया था दावा किया गय केवाला खेसरा सं0 1073 से संबंधित बताया गया है परंतु कितन किया गया था यह स्पष्ट रूप से उक्त केवाला में अंकित नहीं है। पिता के मृत्यु के 39 वर्ष बाद अंचल अधिकारी के मेल में आकर 1047 से 1क0 14धू0 जमीन खारिज करवा लिया।

उत्तरवादी का यह भी कहना है कि वे गृह रक्षा वाहि सेवा निवृति के बाद घर आकर घर परिवार देखभाल करने लगे लगान रसीद कटाने के लिए गये और पूछ–ताछ किये एवं सत्यापि लिए प्रयास किया तो कार्यालय में बताया गया कि अभिलेख 198 गया है तब जाकर विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय सं0–22/10–11 दायर किया। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी को कोई सरोकार नहीं है तथा यह वास की भूमि है दरवाजा मकान, बाड़ी आदि अवस्थित है और उत्तरवादी का उस

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प कागजातों का भी अवलोकन किया। विद्वान भूमि सुधार उप सम जमावंदी सुधार वाद सं0–22/10–11 का अवलोकन किया। वि समाहर्त्ता ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि आवेदक (इ के पिता के नाम से कायम जमावंदी जिसकी विक्री आवेदक अथ के उत्तरवादी के पिता द्वारा नहीं किया गया है से घटाकर विपक्ष अपीलार्थी के नाम से जमावंदी कायम की गयी है जो विधि के प्रकाश चौधरी वगैरह द्वारा वाल्मिकी चौधरी के नाम निष्पादित के स्पष्ट होता है कि खाता 550 खेसरा 1073 से 5क0 जमीन की